— 1 —

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/113/2025 रजू दिनांकः 28.07.2025 रजि0 न0 2025/290

अपीलार्थीः–

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री नाहरसिंह, निवासी ग्राम **पहाडवास**, ग्राम पंचायत इकरोटिया, पंचायत **सतिति** कोटकासिम, जिला खैरथल–तिजारा **राज–301702**

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 25.08.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2025 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 12.08.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। प्रत्यर्थी द्वारा पत्र कमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2025/1146 दिनांक 21.08.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि "उक्त अपील कार्यालय जिला परिषद अलवर जो कि पृथक लोक प्राधिकरण है, के विनिश्चय–पत्र/राजकाज रेफरेन्स नं0 16653782 दिनांक 21.07.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि इस लोक प्राधिकरण से संबंधित नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य नहीं है।"
5. अपील पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम आवेदन प्रत्यर्थी को प्रस्तुत हुआ। जिसके पश्चात प्रत्यर्थी द्वारा विनिश्चय पत्र आनलाईन नं0 080545145 दिनांक 19.06.2025 के द्वारा धारा 6(3) सूचना का अधिकार अधि0 के तहत आवेदन को समयावधि में लोक सूचना अधिकारी, जिला परिषद अलवर को हस्तानांतरित कर दिया गया। **प्रत्यर्थी के जवाब अनुसार लोक सूचना अधिकारी जिला परिषद अलवर का कार्यालय एक पृथम लोक प्राधिकरण है। उक्त प्राधिकरण के विरूद्ध अपील के श्रवण का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है।** अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें, **साथ अपीलार्थी को सूचित किया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी, जिला परिषद अलवर के विनिश्चय पत्र/राजकाज रेफरेन्स नं0 16653782 दिनांक 21.07.2025 के** माध्यम से प्रेषित सूचना से **असंतुष्टि की दशा में सक्षम प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील** प्रस्तुत कर वांछित अनुतोष प्राप्त करें।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर अलवर (राज0)